# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

**किमिनल एम0पी0 संख्या–21 वर्ष 2019**

बसंत महतो, उम्र लगभग 37 वर्ष, पे0–झलकु महतो, निवासी ग्राम–कोनबीर, डाकघर एवं थाना–बसिया, जिला–गुमला (झारखण्ड)

..... ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य ..... ..... विपक्षी पक्ष

**कोरम :** **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री लुकेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– ए0पी0पी0।

02/21.02.2019 याचिकाकर्त्ता ने विभिन्न आदेशों को चुनौती दी है। मुख्य रूप से वह व्यथित है क्योंकि गिरफ्तारी के जमानती वारंट के निष्पादन पर एक रिपोर्ट के बिना जो 23.01.2018 को जारी किया गया था, गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट 26.02.2018 को जारी किया गया है और उसके बाद सीआर0पी0सी0 की धारा 83 के तहत प्रक्रिया और स्थायी वारंट उसके खिलाफ जारी की गई है।

2. सी0पी0 वाद संख्या 1820/2011 के पूरे आदेश–पत्र को रिकॉर्ड में लाया गया है।

3. दिनांक 05.07.2013 को भा0दं0सं0 की धारा 406 के तहत अपराध के लिए संज्ञान लेने के बाद, गिरफ्तारी का जमानती वारंट 23.01.2016/23.01.2018 को जारी

किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख को, विद्वान मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का अजमानतीय वारंट जारी किया है और आदेश–पत्र के पार्श्व में यह लिखा है कि दं0प्र0सं0 की धारा 83 के तहत जारी की गई है। इसके बाद, 19.03.2018 को याचिकाकर्त्ता के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया। 26.02.2018 को मामला रखे जाने के बाद, सुनवाई की वह अगली तारीख थी।

4. उपरोक्त तथ्य जो सी0पी0 वाद संख्या–1820/2011 की कार्यवाही में दर्ज किए गए हैं, यह खुलासा करेंगे कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस कार्यवाही में बहुत लापरवाही से आदेश पारित किए हैं। कल्पना की किसी भी सीमा तक यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि एक ही आदेश से गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट के साथ ही दं0प्र0सं0 की धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी की जा सकती है।

5. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, आक्षेपित आदेशों में गम्भीर दुर्बलता पाते हुए, दिनांक 23.01.2016/23.01.2018, 26.02.2018, 19.03.2018 और 27.03.2018 के आदेशों को रद्द किया जाता है।

6. आपराधिक एम0पी0 सं0 21/2019 को अनुज्ञात किया जाता है, हालांकि याचिकाकर्त्ता अगले चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत के सामने पेश होंगे।

7. आदेश की एक प्रति फैक्स के माध्यम से संबंधित अदालत को प्रेषित करें।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)